

**कार्यालय :- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा (म0प्र0)**

**-:: विविध आदेश ::-**

क्रमांक 45/एक-11-2/98

विदिशा, दिनांक 24/06/2024

मैं जाकिर हुसैन प्रधान जिला न्यायाधीश विदिशा सुश्री शिवानी चतुर्वेदी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, विदिशा के न्यायालय में लंबित व्यवहार वाद क्रमांक 32/20217 साधना शर्मा विरुद्ध दीपक कुमार जैन में संशोधन समाविष्ट होने के उपरांत प्रकरण का वाद मूल्य व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड की सुनवाई योग्य होने के कारण व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 24 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये व्यवहार प्रकरण सारणी के स्तम्भ क्रमांक 02 में वर्णित न्यायालय से स्तंभ क्रमांक 03 अनुसार प्रत्याहरित कर, विधि अनुसार निराकरण हेतु स्तंभ क्रमांक 05 में वर्णित न्यायालय में अंतरित करता हूँ। उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

सारणी

क्र०	न्यायालय से	प्रकरण का विवरण	प्रकरणों की संख्या	न्यायालय में
01	02	03	04	05
01	सुश्री शिवानी चतुर्वेदी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, विदिशा	व्यवहार वाद ए क्र. 32/2017 साधना शर्मा वि. दीपक कुमार जैन	कुल 01	श्री विजय कुमार पाण्डे, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, विदिशा

sd-

(जाकिर हुसैन)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
विदिशा (म0प्र0)

पृष्ठांकन क्रमांक 3036/एक-11-2/98

विदिशा, दिनांक 24/06/24

प्रतिलिपि :-

01. श्री विजय कुमार पाण्डे, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, विदिशा
02. सुश्री शिवानी चतुर्वेदी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, विदिशा
03. अध्यक्ष/सचिव, अभिभाषक संघ, विदिशा, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
04. जूनियर सिस्टम एनॉलिस्ट, विदिशा, की ओर संबंधित न्यायिक अधिकारी को ई-मेल करने एवं न्यायालय की साईड पर अपलोड करने तथा प्रकरण संबंधित न्यायालय में अंतरित किये जाने हेतु प्रेषित।

sd-

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
विदिशा (म0प्र0)